

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 378 / 10

संस्थित दि.: 21 / 06 / 10

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

संतोष कुमार पिता ददुप्रसाद, उम्र 30 साल, जाति ब्राह्मण,
निवासी ग्राम मंगली मोतीनाला जिला मण्डला (म.प्र.)

..... आरोपी

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 05 / 12 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (काउन्टस-5), 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 134 / 187, 66 / 192 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 21.05.2010 को समय 04:00 बजे ग्राम खिरमारी मोतीनाला आरक्षी केन्द्र गढ़ी के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन 407 क्रमांक एम.पी.20 / जी.7197 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं वाहन को पलटी खिलाकर गोविन्द, सतियाबाई, सुक्करबाई, चैतुसिंह, नन्हीयाबाई को उपहति कारित की तथा सोहन को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की व दुर्घटना के पश्चात् आहतगण को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई व दुर्घटना की सूचना बीमाकर्ता को नहीं दी तथा वाहन को परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर चलाते हुए पाये गये।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी मोहनसिंह मरावी ने दिनांक 22.05.2010 को आरक्षी केन्द्र बिछिया जिला मंडला में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 21.05.2010 को मंगली तिवारी की 407 वाहन में

बैठकर बहरा बरात में जा रहा था। वाहन के चालक ने वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर पलटी खिला दिया जिससे गोविन्द, सतियाबाई, सुक्करबाई, चैतुसिंह, नन्हीयाबाई, सोहन को चोट आई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 12/10 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया। आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से मय दस्तावेज के वाहन जप्त कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 134/187, 66/192 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (काउन्टस-5), 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 134/187, 66/192 का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया गया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 21.05.2010 को समय 04:00 बजे ग्राम खिरमारी मोतीनाला आरक्षी केन्द्र गढ़ी के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन 407 क्रमांक एम.पी.20/जी.7197 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- (2) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन 407 क्रमांक एम.पी.20/जी.7197 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर वाहन को पलटी खिलाकर गोविन्द, सतियाबाई, सुक्करबाई,

चैतुसिह, नन्हीयाबाई को उपहति कारित की ?

- (3) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन 407 क्रमांक एम.पी.20/जी.7197 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर वाहन को पलटी सोहन को घोर उपहति कारित की ?
- (4) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन 407 क्रमांक एम.पी.20/जी.7197 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना के पश्चात् आहतगण को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई व दुर्घटना की सूचना बीमाकर्ता को नहीं दी ?
- (5) क्या आरोपी इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन 407 क्रमांक एम.पी.20/जी.7197 को परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर चलाते हुए पाया गया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 1, 2, 3, 4 एवं 5 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादी मोहन (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना 21 मई की शाम के 04:00 बजे की है। वाहन आरोपी चला रहा था। आरोपी ने वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर खिरसारी बांध के बीच पलटी खिला दिया जिससे उसे आँख के उपर, हाथ में चोट आई वाहन में बैठे सोहन की हड्डी टूट गई थी व नन्हीयाबाई, सुक्करबाई को आँख पर तथा चैतू एवं सतियाबाई को छाती में और गोविन्द को नाक पर चोट आई। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बिछिया में की थी जो प्रदर्श

पी-01 है। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था।

(08) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी देवकंठ सोनी (अ.सा. 10) का भी कहना है कि उसने आरक्षी केन्द्र बिछिया के आरक्षक विजयसिंह के द्वारा अपराध क्रमांक 12/10 को आरक्षी केन्द्र गढ़ी में असल नम्बर पर प्रदर्श पी-01 के आधार पर लिया था जो प्रदर्श पी-13 है। इसी प्रकार विवेचनाकर्ता राजकुमार हिरकने (अ.सा. 8) का कहना है कि उसने अपराध क्रमांक 12/10 के विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 प्रार्थी मोहन की निशादेही पर तैयार किया था। दिनांक 03.05.2010 को मोहन, सोहनसिंह एवं दिनांक 13.06.2010 को गोविन्द प्रसाद, सतियाबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 23.05.2010 को आरोपी संतोष कुमार से साक्षियों के समक्ष प्रदर्श पी-03 के अनुसार वाहन 407 क्रमांक एम.पी.20/जी.7197 क्षतिग्रस्त हालत में मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(09) अभियोजन साक्षी डॉ. दिनेश कुमार टकसानडे (अ.सा. 9) का कहना है कि उसने दिनांक 21.05.2010 को आहत गोविन्द का मेडिकल परीक्षण किया था। आहत ने उपरी जबड़े में दर्द होना बताया था। बाहरी चोट दिखाई नहीं दे रही थी। चोट सामान्य प्रकृति की एवं बोथरे वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत गोविन्द की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है। आहत सतियाबाई के परीक्षण में आहत ने छाती में दर्द की शिकायत, कमर में दर्द, बांये तरफ सिर में चोट होना बतायी थी, बाहरी चोट नहीं थी। चोटे सामान्य प्रकृति की थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहति सतियाबाई की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है। आहत सुक्कलबाई पति जमादार के परीक्षण में बांये तरफ चेहरे में कटा फटा घाव, रक्तस्राव हो रहा होना खून मौजूद होना पाया था, बांये हाथ की कलाई में दर्द की शिकायत की थी, बाहरी चोट नहीं थी। छाती में एवं कमर में दर्द की शिकायत की थी, बाहरी चोट दिखाई नहीं दे रही थी। चोटें सामान्य प्रकृति की थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत

सुक्कलबाई की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 है। आहत चेतुसिंह पिता पन्नासिंह के परीक्षण पर आहत छाती में दर्द की शिकायत तथा दांये हाथ की कोहनी में दर्द होना बताया था, बाहर कोई चोट नहीं थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत चेतुसिंह की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 है। आहत ननियाबाई पति भुरासिंह के परीक्षण पर छाती में सामने और पीठ में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द होना बतायी थी। बाहर कोई चोट नहीं थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत ननियाबाई की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 पर उसके हस्ताक्षर है। आहत सोहनसिंह पिता मानसिंह के परीक्षण पर दांये हाथ की कलाई में सूजन मौजूद थी, दर्द होना बताया था, उसके द्वारा अस्थिभंग होने की संभावना व्यक्त की गई थी। चोट कड़े एवं बोथरे वस्तु से आना प्रतीत होती थी, जो गम्भीर प्रकृति की थी। एक महीने में भरने की संभावना थी यदि कोई विकृति न हो तो। उसके द्वारा दांये हाथ की कलाई के एक्स-रे की सलाह दी गई थी, जिस हेतु जिला चिकित्सालय मण्डला रिफर किया गया। उसके द्वारा तैयार की गई आहत सोहनसिंह की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-11 है। दिनांक 24.5.2012 को सोहन के दांये हाथ के एक्स-रे की प्लेट क्र. 798 है जो उसके पास दिनांक 10.6.2010 को अवलोकन हेतु आई थी। बांये हाथ की अलना बोन में अस्थिभंग होना पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 पर उसके हस्ताक्षर है।

(10) अभियोजन साक्षी अशोक कुमार अग्निहोत्री (अ.सा. 7) का कहना है कि उसने टाटा 407 वाहन क्रमांक एम.पी.50/जी.7197 का थाना गढ़ी में मैकेनिकल परीक्षण किया था जिसमें उसने वाहन का कांच टूटा हुआ, वाहन की बाँड़ी एक तरफ से पिचकी हुई पायी थी। उसके द्वारा तैयार की गई वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-05 है।

(11) फरियादी एवं विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी सोहनसिंह (अ.सा. 2) एवं चेतुसिंह (अ.सा. 3) व गोविन्द (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना 21 मई की शाम के 04:00 बजे धोरसीबारा जा रहे थे। वाहन आरोपी चला रहा था। आरोपी ने आवला घघरा और खिरसारी के पास वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर पलटी खिला दिया था, जिससे उन्हें चोट आयी थी। वाहन में बैठे अन्य लोगों को भी चोट आयी थी। दुर्घटना आरोपी की गलती के कारण हुई थी एवं

अभियोजन साक्षी सतियाबाई (अ.सा.05) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के दो वर्ष पुरानी अवराघगरा घाट की है। वह गाड़ी के बीच में बैठी थी, इसलिये उसे घटना कैसे हुई उसकी जानकारी उसे नहीं है।

(12) अभियोजन साक्षी जगदीश प्रसाद (अ.सा. 6) का कहना है कि घटना उसके कथन के 6 वर्ष पुरानी मोतीनाला के आगे की है। आरोपी ने उसे बताया था कि गाड़ी घाट चढ़ रही थी, पाईप फट जाने से ब्रेक नहीं लगा और गाड़ी पलटी खा गई। पुलिस ने गाड़ी जप्त कर जप्ती पंचनामा एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था।

(13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि वह निर्दोष है, फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर आरोपी को झूठा फंसाया गया है। आरोपी ने दिनांक 21.05.2010 को समय 04:00 बजे ग्राम खिरमारी मोतीनाला आरक्षी केन्द्र गढ़ी के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन 407 क्रमांक एम.पी.20/जी.7197 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं वाहन को पलटी खिलाकर गोविन्द, सतियाबाई, सुक्करबाई, चैतुसिंह, नन्हीयाबाई को उपहति कारित की तथा सोहन को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की व दुर्घटना के पश्चात् आहतगण को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई व दुर्घटना की सूचना बीमाकर्ता को नहीं दी तथा वाहन को परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर चलाते हुए पाये गये ऐसे तथ्यों का सर्वथा अभाव है। अभियोजन अपना प्रकरण युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णता: असफल रहा है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(14) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(15) अभियोजन साक्षी/फरियादी मोहन (अ.सा. 1) का स्पष्ट कहना है कि घटना 21 मई की शाम के 04:00 बजे की है। वाहन आरोपी चला रहा था। आरोपी ने वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर खिरमारी बांध के बीच पलटी खिला दिया जिससे उसे आँख के उपर, हाथ में चोट आयी थी और वाहन में बैठे सोहन की हड्डी टूट गई थी व नन्हीयाबाई, सुक्करबाई को आँख पर तथा चैतू एवं सतियाबाई को छाती

में और गोविन्द को नाक पर चोट आयी थी। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बिछिया में की थी जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। साक्षी के कथनों को प्रतिपरीक्षण में कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(16) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी देवकंठ सोनी (अ.सा. 10) का भी स्पष्ट कहना है कि उसने आरक्षी केन्द्र बिछिया के आरक्षक विजयसिंह के द्वारा अपराध क्रमांक 12/10 को आरक्षी केन्द्र गढ़ी में असल नम्बर पर प्रदर्श पी-01 के आधार पर लिया था जो प्रदर्श पी-13 है। इसी प्रकार विवेचनाकर्ता राजकुमार हिरकने (अ.सा. 8) का कहना है कि उसने अपराध क्रमांक 12/10 के विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 प्रार्थी मोहन की निशादेही पर तैयार किया था। दिनांक 03.05.2010 को मोहन, सोहनसिंह एवं दिनांक 13.06.2010 को गोविन्द प्रसाद, सतियाबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 23.05.2010 को आरोपी संतोष कुमार से साक्षियों के समक्ष प्रदर्श पी-03 के अनुसार वाहन 407 क्रमांक एम.पी.20/जी.7197 क्षतिग्रस्त हालत में मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। साक्षियों के कथनों को प्रतिपरीक्षण में कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(17) अभियोजन साक्षी डॉ. दिनेश कुमार टकसानड़े (अ.सा. 9) का कहना है कि उसने दिनांक 21.05.2010 को आहत गोविन्द का मेडिकल परीक्षण किया था। आहत ने उपरी जबड़े में दर्द होना बताया था। बाहरी चोट दिखाई नहीं दे रही थी। चोट सामान्य प्रकृति की एवं बोथरे वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत गोविन्द की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है। आहत सतियाबाई के परीक्षण में आहत ने छाती में दर्द की शिकायत, कमर में दर्द, बांये तरफ सिर में चोट होना बतायी थी, बाहरी चोट नहीं थी। चोटे सामान्य प्रकृति की थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहति सतियाबाई की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है। आहत

सुक्कलबाई पति जमादार के परीक्षण में बांये तरफ चेहरे में कटा फटा घाव, रक्तस्त्राव हो रहा होना खून मौजूद होना पाया था, बायें हाथ की कलाई में दर्द की शिकायत की थी, बाहरी चोट नहीं थी। छाती में एवं कमर में दर्द की शिकायत की थी, बाहरी चोट दिखाई नहीं दे रही थी। चोटें सामान्य प्रकृति की थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत सुक्कलबाई की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 है। आहत चेतुसिंह पिता पन्नासिंह के परीक्षण पर आहत छाती में दर्द की शिकायत तथा दांये हाथ की कोहनी में दर्द होना बताया था, बाहर कोई चोट नहीं थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत चेतुसिंह की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 है। आहत ननियाबाई पति भुरासिंह के परीक्षण पर छाती में सामने और पीठ में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द होना बताया था। बाहर कोई चोट नहीं थी। उसके द्वारा तैयार की गई आहत ननियाबाई की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत सोहनसिंह पिता मानसिंह के परीक्षण पर दांये हाथ की कलाई में सूजन मौजूद थी, दर्द होना बताया था, उसके द्वारा अस्थिभंग होने की संभावना व्यक्त की गई थी। चोट कड़े एवं बोथरे वस्तु से आना प्रतीत होती थी, जो गम्भीर प्रकृति की थी। एक महीने में भरने की संभावना थी यदि कोई विकृति न हो तो। उसके द्वारा दांये हाथ की कलाई के एक्स-रे की सलाह दी गई थी, जिस हेतु जिला चिकित्सालय मण्डला रिफर किया गया। उसके द्वारा तैयार की गई आहत सोहनसिंह की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-11 है। दिनांक 24.5.2012 को सोहन के दांये हाथ के एक्स-रे की प्लेट क्र. 798 है जो उसके पास दिनांक 10.6.2010 को अवलोकन हेतु आई थी। बांये हाथ की अलना बोन में अस्थिभंग होना पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के कथनों को प्रतिपरीक्षण में कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(18) अभियोजन साक्षी अशोक कुमार अग्निहोत्री (अ.सा. 7) का कहना है कि उसने टाटा 407 वाहन क्रमांक एम.पी.50/जी.7197 को थाना गढ़ी में मैकेनिकल परीक्षण किया था जिसमें उसने वाहन का कांच टूटा हुआ, वाहन की बॉडी एक तरफ से पिचकी हुई पायी थी। उसके द्वारा तैयार की गई वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-05 है। साक्षी

के कथनों को प्रतिपरीक्षण में कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(19) फरियादी एवं विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी सोहनसिंह (अ.सा. 2) एवं चैतुसिंह (अ.सा. 3) व गोविन्द (अ.सा. 4) का भी स्पष्ट कहना है कि घटना 21 मई की शाम के 04:00 बजे धोरसीबारा जा रहे थे। वाहन आरोपी चला रहा था। आरोपी ने आवला घघरा और खिरसारी के पास वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर पलटी खिला दिया था, जिससे उन्हें चोट आयी थी वाहन में बैठे अन्य लोगों को भी चोट आयी थी। दुर्घटना आरोपी की गलती के कारण हुई थी एवं अभियोजन साक्षी सतियाबाई (अ.सा. 5) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के दो वर्ष पुरानी अवराघगरा घाट की है। वह गाड़ी के बीच में बैठी हुई थी, इसलिये उसे नहीं मालूम की घटना कैसे घटित हुई। साक्षियों के कथनों को प्रतिपरीक्षण में कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(20) अभियोजन साक्षी जगदीश प्रसाद (अ.सा. 6) का कहना है कि घटना उसके कथन के 6 वर्ष पुरानी मोतीनाला के आगे की है। आरोपी ने उसे बताया था कि गाड़ी घाट चढ़ रही थी, पाईप फट जाने से ब्रेक नहीं लगा और गाड़ी पलटी खा गई। पुलिस ने गाड़ी जप्त कर जप्ती पंचनामा एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था। किन्तु मेकेनिक जांच प्रतिवेदन में उसने वाहन को चलाकर देखा वाहन चालू हालत में पाया। वाहन का ब्रेक भी ठीक होना बताया। ऐसी स्थिति में ब्रेक पाईप फट जाने से ब्रेक नहीं लगना विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(21) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फरियादी मोहन (अ.सा. 1) एवं साक्षी देवकंठ सोनी (अ.सा. 10), विवेचनाकर्ता राजकुमार हिरकने (अ.सा. 8), अशोक कुमार अग्निहोत्री (अ.सा. 7), सोहनसिंह (अ.सा. 2), चैतुसिंह (अ.सा. 3), गोविन्द (अ.सा. 4), एवं जगदीश प्रसाद (अ.सा. 6) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये तथा साक्षी सतियाबाई (अ.सा. 5) के कथनों से भी अभियोजन के प्रकरण की आंशिक पुष्टि होती है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों में ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभास नहीं आया है जिससे अभियोजन द्वारा

प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों को अविश्वासनीय कहा जाये। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथन से आरोपी ने दिनांक 21.05.2010 को समय 04:00 बजे ग्राम खिरमारी मोतीनाला आरक्षी केन्द्र गढ़ी के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन 407 क्रमांक एम.पी. 20/जी.7197 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं वाहन को पलटी खिलाकर गोविन्द, सतियाबाई, सुक्करबाई, चैतुसिह, नन्हीयाबाई को उपहति कारित की तथा सोहन को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की, इस बात की तो पुष्टि होती है। किन्तु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों से इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि आरोपी ने दुर्घटना के पश्चात् आहतगण को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई व दुर्घटना की सूचना बीमाकर्ता को नहीं दी तथा वाहन को परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर चलाते हुए पाये गये।

(22) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव में तर्क है कि वाहन को आरोपी धीमे चला रहा था। आरोपी की गलती से दुर्घटना कारित नहीं हुई। वाहन का ब्रेक फेल हो जाने से आरोपी ने दुर्घटना के बचने के लिये अचानक दूसरी तरफ मोड़ दिया, जिसके कारण दुर्घटना कारित हुई। किन्तु आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता ने ऐसी कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वाहन का ब्रेक फेल होने से आरोपी ने दुर्घटना के बचाने के लिये वाहन को दूसरी ओर मोड़कर पलटा दिया।

(23) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 21.05.2010 को समय 04:00 बजे ग्राम खिरमारी मोतीनाला आरक्षी केन्द्र गढ़ी के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन 407 क्रमांक एम.पी.20/जी.7197 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं वाहन को पलटी खिलाकर गोविन्द, सतियाबाई, सुक्करबाई, चैतुसिह, नन्हीयाबाई को उपहति कारित की तथा सोहन को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की। किन्तु अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दुर्घटना के पश्चात् आहतगण को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई व दुर्घटना की सूचना बीमाकर्ता को नहीं दी तथा वाहन को

परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर चलाते हुए पाये गये।

(24) परिणाम स्वरूप आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा 134/187, 66/192 के अन्तर्गत दोषसिद्ध न पाते हुये दोषमुक्त किया जाता है तथा आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337(काउन्ट्स-5), 338 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(25) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

(26) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

पुनश्च :-

(27) दण्ड के प्रश्न पर आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता को सुना गया।

(28) आरोपी के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी मजदूर पेशा व्यक्ति है। अतः उसे कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित किया जावे।

(29) आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।

(30) प्रकरण का अवलोकन किया गया।

(31) आरोपी की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी मजदूर पेशा व्यक्ति होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आरोपी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति

को देखते हुए आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप में 1000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 337 (काउन्टस-5) के आरोप में प्रत्येक आहत के लिये 500/- (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 338 के आरोप में 1000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को एक-एक माह का साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(32) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन 407 क्रमांक एम.पी.20/जी.7197 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जाये।

(33) निर्णय की एक प्रति आरोपी को निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)